न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **62/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/268

1. श्री अजयपाल पिता शंकरलाल ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
2. श्री भगवती पिता बंशीलाल ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
3. श्री मोडीराम पिता शंकरलाल ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
4. श्री लालुराम पिता शंकरलाल ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तह. घासा।
2. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. घासा।
3. निर्मला पुत्री बंशी ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
4. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी बंशी ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
5. दुर्गा पुत्री शंकरलाल ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
6. श्रीमती नंदा पत्नी कालु ढाोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
7. श्रीमती शीला पत्नी मुरली ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
8. बसन्ती पुत्री मुरली ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
9. कैलाशी पुत्री मुरली ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
10. मिठु पुत्री बंशी ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
11. रूकमणी पुत्री बंशी ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।
12. सपना पुत्री कालु ढोली निवासी खाम की मादडी तह. घासा।

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जगपालसिंह बगावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.11.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज.) की आराजी नम्बर 1798 से 1804, 1806, 1815 से 1819 में आने जाने के लिए विवादित आराजी नम्बर 1820 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश डांगी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

4. प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1798 से 1804, 1806, 1815 से 1819 में आने जाने के लिए विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 1820 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1820 रकबा 2.3876 में से 0.0237 हेक्टेयर अर्थात् 26 मीटर * 9.14 मीटर (236.6वर्गमीटर) होकर डीएलसी दर 13,96,057/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 33,087/– रूपये होना बताया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

:: आ ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1798 से 1804, 1806, 1815 से 1819 में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 1820 रकबा 2.3876 हेक्टेयर में से 0.0237 हेक्टेयर अर्थात् 26 मीटर * 9.14 मीटर (236.6वर्गमीटर) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 13,96,057/– अक्षरे तेरह लाख छियानवे हजार सतावन रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 1820 रकबा 2.3876 हेक्टेयर में से 0.0237 हेक्टेयर अर्थात् 26 मीटर * 9.14 मीटर (236.6वर्गमीटर) की कुल कीमत 33,087/– का दुगुना 66,174/– रूपयें छियासठ हजार एक सौ चौहत्तर रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested